



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone



प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035

1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 06/2026 (हवलदार - खेल कोटा)

Establishment Order (N.G.O) No. 06/2026 (Havaladar - Sports Quota)

दिनांक 13 मार्च, 2026 Dated 13th March, 2026

खेल कोटा के अंतर्गत हवलदारों की प्रारंभिक नियुक्ति के संदर्भ में अपर आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सं.नि.प्रा) द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 22/CCA/2026 दिनांक 11.02.2026 तथा विशाखपट्टणम सीजीएसटी क्षेत्र में आवंटन पर, निम्नलिखित हवलदारों के पदस्थापन तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक आदेशित किए जाते हैं।

Consequent upon initial appointment of Havalendars under Sports Quota vide EO (NGO) No. 22/CCA/2026 dated 11.02.2026 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA) and on allotment to Visakhapatnam CGST Zone, the following postings in the cadre of Havalendars are ordered with immediate effect and until further orders.

सं क्र Sl No	अधिकारी का नाम (कुमारी/श्री) Name of the Officer (Ms/Shri)	मु.आ.का (वि.क्षे) में रिपोर्ट करने की तिथि DoJ in CCO (VZ)	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	महालक्ष्मी एम.जि Mahalakshmi M.G	05.03.2026 (FN)	तिरुपति सिजीएसटी Tirupati CGST
2.	एस. राहुल S.Rahul	05.03.2026 (FN)	मु. आ. का CCO

2. मु.आ.का (वि.क्षे) में 05.03.2026 के पूर्वाह्न में रिपोर्ट करने वाले कुमारी .महालक्ष्मी एम.जि को 13.03.2026 के अपराह्न में कार्यमुक्त कर दिया जाता है ताकि वे अपने नए पदस्थापित स्थान पर रिपोर्ट कर सकें।

Ms. Mahalakshmi M.G, who has reported to CCO (VZ) in the forenoon of 05.03.2026 stands relieved in the afternoon of 13.03.2026 to enable her report at her new place of posting.

3. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (स.नि.प्रा), द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 22/सं.नि.प्रा/2026 दिनांक 11.02.2026 में अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहते हैं।

All other terms and conditions in EO (NGO) No. 22/CCA/2026 dated 11.02.2026 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), as applicable, remain unaltered.

4. संबंधित दस्ताविजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा । In case of any ambiguity English version will prevail.
6. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है । This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone.



(गोसु रमेश / Gosu Ramesh)

उप आयुक्त / Deputy Commissioner

(फाइल सं. Issued from File No.: GCCO/II/(3)/14/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)

सेवा में / To

संबंधित व्यक्तियों को / The Individuals

प्रतिलिपि :

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी (सं.नि.प्रा) / विशाखपट्टणम सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय ।
2. मु.ले.अधिकारी / आ.सं.अधिकारी, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी आयुक्तालय।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, विशाखपट्टणम / तिरुपति ।
4. सूचना पटल वेबसाइट स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST (CCA) / Visakhapatnam CGST / Tirupati CGST Commissionerate.
2. CAO / DDO, Visakhapatnam CGST / Tirupati CGST Commissionerate.
3. PAO of Visakhapatnam / Tirupati.
4. Notice Board / Website / Stock File.